संसाधनों के समुचित उपयोग, सामुदायिक सशक्तीकरण एवं निर्णय क्षमता विकास हेतु :

सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया

(माइक्रो–प्लानिंग)

समूह का नाम :

ग्राम /ग्राम संगठन का नाम :

जीविका

बिहार सरकार की परियोजना

(विश्व बैंक से सहायता प्राप्त)

समूह के पूंजीकरण के विभिन्न चरण :

1) समूह का गठन
2) बैंक खाता का संचालन
3) सूक्ष्म नियोजन
4) आरंभिक पूंजीकरण निधि
5) बैंकों के साथ वित्तीय संबद्धता

सूक्ष्म नियोजन के उद्देश्य

- संसाधनों की पहचान कर उसके सर्वोत्तम इस्तेमाल करने हेतु निर्णय क्षमता का विकास
- व्यक्तियों की क्षमता तथा उनसे संबंधित सामुदायिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना
- समूह के सभी व्यक्तियों की ऋण - संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति
- उपलब्ध सामाजिक संसाधनों को पहचान कर विकास के तरीकों की खोज करना
- स्थायी और अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति
- अन्य संस्थाओं से ऋण की सुविधा प्राप्त करना
- समूह के सदस्यों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सीमित संसाधनों का उपयोग
- स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन कौशल को विकसित करना

Design by : Priya Priydarshi, BRLPS

स्वयं सहायता समूह का विवरण

1. समूह का नाम एवं गठन की तिथि :

2. गाँव का नाम :

3. स्वयं सहायता समूह से संबद्ध ग्राम संगठन का नाम :

4. सदस्यों की संख्या :

सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल

5. खाता सं0 एवं बैंक शाखा का नाम :

6. आयोजित बैठकों की संख्या एवं उपस्थिति प्रतिशत :

7. समूह के द्वारा की गयी कुल बचत :

8. कुल वितरित ऋण की राशि एवं वापसी प्रतिशत :

9. कुल अर्जित ब्याज की राशि :

10. क) संस्थाओं का विवरण जहाँ से अभी तक ऋण प्राप्त किये गये हैं :

    ख) उपलब्ध करायी गयी ऋण की राशि :

11. सामाजिक उत्थान के लिए किये गये प्रयासों का विवरण :

12. जीविकोपार्जन के लिए किये गये प्रयास तथा उनके विकास हेतु उठाये गये कदम :

13. प्राप्त किये गये प्रशिक्षण :

14. स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों का नाम :

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पति/पिता का नाम	समूह से जुड़ने की तिथि	उम्र	जाति	शिक्षा	बी.पी.एल. संख्या	परिवार के सदस्यों का विवरण			
								बच्चे		(बड़े) व्यस्क	
								लड़की	लड़का	महिला	पुरुष
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13..											
14.											
15.											
16.											
कुल											

बारे में जानकारियों का समावेश

पारिवारिक स्तर पर व्यवसाय	जमीन (कट्ठा/बीघा)				मवेशी (बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर एवं अन्य)		मकान का प्रकार (पक्का/कच्चा)	सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति		बाहरी स्रोतों से कर्ज की राशि	परिवार में विधवा/विकलांग सदस्यों की संख्या	प्रवासी सदस्यों की संख्या	महीनों की संख्या (खाद्यान्न असुरक्षा)	गरीबी स्तर (कृपया ✔ का निशान लगायें)	
	सिंचित		असिंचित												
	पट्टा	अपना	पट्टा	अपना	बटईया	अपना		जॉब कार्ड (हाँ/नहीं)	राशन कार्ड का प्रकार					अत्यंत गरीब	गरीब

सूक्ष्म नियोजन खंड – 2

सदस्यों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं एवं जरूरतों का आकलन

1. **जीविकोपार्जन से संबंधित मुद्दे**

   क) उपभोग की जरूरतें (भोजन की आवश्यकता, स्वास्थ्य संबंधी खर्च, कर्ज वापसी, आवास की मरम्मति, विवाह खर्च इत्यादि)

   ख) उत्पादन से संबंधित जरूरतें (पट्टे पर भूमि लेने की जरूरत, साधारण दुकान खोलकर रोजगार करना, रोजगार बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता की जरूरत एवं अन्य)

   ग) संपति बनाने की जरूरत (मवेशी की खरीद, व्यपार संबंधी आधारभूत संरचना का निर्माण, गृहनिर्माण, बंधक रखे गये संपति/सामान/खेत आदि को छुड़ाने पर किया जाने वाला खर्च इत्यादि)

2. **सामाजिक मुद्दे** (प्रवास, महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं की प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की बातें, बाल शिक्षा पर जोर, बालविवाह, नशाखोरी आदि)

3. **सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं/अधिकारों की प्राप्ति** (जॉबकार्ड/ राशनकार्ड/ विधवा पेंशन/ वृद्धा पेंशन/ विकलांगता का प्रमाणपत्र आदि)

4. **क्षमतावर्द्धन की जरूरत** (सूचना, कौशल विकास, संस्थागत सुविधाओं के साथ जुड़ाव करवाना आदि)

5. **अन्य विशेष मुद्दे**

पारिवारिक निवेश योजना (सदस्यों द्वारा किये जाने वाले

क्र.	सदस्यों का नाम	ऋण का उद्देश्य	आवश्यकता पूर्ति हेतु ऋण की राशि	सदस्य द्वारा अंशदान	स्वयं सहायता समूह से अपेक्षित राशि
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
कुल					

आर्थिक क्रिया-कलापों का ब्यौरा एवं आकलन)

परिवारिक मासिक आमदनी	किश्त की संख्या एवं रकम (x किश्त @ रु.)	नियमित बचत (हाँ / नहीं)	ऋण की नियमित वापसी (हाँ / नहीं)	अन्य बचत संबंधी आदतें	प्राथमिकता निर्धारण

संसाधनों एवं जरूरतों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय

(मुद्दे एवं समाधान)

1. निर्णय के स्तर :

क) स्वयं सहायता समूह स्तरीय :

ख) ग्राम संगठन स्तरीय :

ग) अन्य भागीदारों के स्तर पर (यथा विभिन्न सरकारी विभागों के स्तर पर) :

2. क) जीविका मित्र / सामुदायिक समन्वयक का नाम :

ख) जीविका मित्र / सामुदायिक समन्वयक के द्वारा दिये गये प्रासंगिक सुझाव :

खंड – 4....

3. क) क्षेत्रीय समन्वयक का नाम :
   ख) समूह के अवलोकन के उपरांत दिया गया प्रासंगिक सुझाव :

4. प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा दिया गया सुझाव (अगर समूह का स्थल निरीक्षण किया हो तो उसका जिक्र अवश्य करें) :

5. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा दिया गया दिशा–निर्देश (अगर ऋण उपलब्ध होने के बाद स्थल निरीक्षण किया हो तो उसका जिक्र अवश्य करें) :

आवेदन पत्र

सामुदायिक निवेश निधि हेतु आवेदन पत्र (स्वयं सहायता समूह)

सेवा में,

अध्यक्षा महोदया,

..... ग्राम संगठन,

ग्राम .....

महोदया,

हम ..... (स्वयं सहायता समूह का नाम) अपनी रोजमर्रा उपभोग की जरूरतों एवं आय सृजन के स्रोतों में बढ़ोत्तरी के लिए अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं । इसके लिए सामुदायिक निवेश निधि के तहत ऋण की आवश्यकता है । हमारे स्वयं सहायता समूह का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. स्वयं सहायता समूह का नाम : .....
2. समूह गठन की तिथि : .....
3. हमारा बैंक खाता सं0 ..... है तथा हमारा खाता ..... बैंक के ..... शाखा, के साथ है ।

हमारे स्वयं सहायता समूह के ऋण का इतिहास

क्र.	विवरण	रु0 में	क्र.	विवरण	रु0 में
1.	कुल बचत		4.	शेष मूलधन	
2.	कुल ऋण वितरीत		5.	अधिशेष राशि (Overdue)	
3.	कुल मूलधन वापसी				

सूक्ष्म योजना के अंतर्गत किये गये पारिवारिक निवेश योजना की रकम के संभावित स्रोत

स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार पारिवारिक निवेश के योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्रोत :

कुल ऋण की जरूरत	समूह बचत (रु0 में)	सामुदायिक निवेश निधि (रु0 में)	बैंक से ऋण (रु0 में)

कृपया हमारे समूह को ..... रु0 की ऋण सामुदायिक निवेश निधि से उपलब्ध करवाने की कृपा की जाएं। हम इस पैसे को ..... माह में लौटाने का वचन देते हैं ।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर **कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर** **सचिव का हस्ताक्षर**

दिनांक –

- **ग्राम संगठन की समिति के दृष्टिकोण / प्रासंगिक सुझाव :**

- **केवल ग्राम संगठन के उपयोग हेतु :**

ऋण स्वीकृति

..... समूह को ..... रु0 ऋण (सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत) देने का निर्णय लेते हैं ।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांक –

समूह का आकलन प्रपत्र

1. समूह के सदस्यों द्वारा एकरूपता एवं सहभागिता का अनुभव	कुल अंक	प्राप्त अंक	8. आन्तरिक लेनदेन की गति–	कुल अंक	प्राप्त अंक
(समूह के साथ बातचीत के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर)	6		सूत्र – कुल वितरित ऋण राशि / कुल बचत	4	
क) बहुत मजबूत	6		क) 1.5 गुणा से अधिक	4	
ख) मजबूत	3		ख) 1–1.5 गुणा के अन्तर्गत	2	
ग) कमजोर	1		ग) 1 गुणा से कम	1	
2 समूह संबंधी प्रशासकीय मुददे (कुल अंकों के जोड़ के साथ)	7		**9. ऋण वापसी शर्त्त**	4	
क) समूह से जुड़े कार्यक्रमों के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता।	3		क) मासिक किश्त	4	
ख) समूह निर्माण के नियमों की विस्तृत जानकारी।	1		ख) त्रैमासिक किश्त	3	
ग) समूह सदस्यों द्वारा नेतृत्व की जिम्मेदारियों में सहभागिता।	2		ग) एक मुश्त भुगतान	2	
घ) समूहवार बचत एवं ऋण की स्थिति की विस्तृत जानकारी।	1		घ) विशिष्ट शर्त्त नहीं – मामले के अनुसार	0	
3. बैठक की रूपरेखा (पिछले छः महीने का अनुभव)	7		**10. सामुदायिक निवेश निधि/सूक्ष्म वित्त पोषण/बैक संयोजन –**	10	
क) बैठक नियमित रूप से नीयत दिन, समय और स्थान पर किये जाते है।	7		क) किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण की वापसी नियमित रूप से हो रही है।	10	
ख) बैठक नियमित रूप से माह में एक बार किये जाते हैं, लेकिन सदस्यों की सहुलियत के आधार पर।	5		ख) किसी भी संस्था द्वारा दिये गये ऋण की वापसी में बकाया है।	6	
ग) बैठक निरंतर तो नहीं, लेकिन नीयत दिनांक, समय तथा स्थान पर किये जाते हैं।	3		ग) समूह द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु सम्पर्क किया गया, किन्तु ऋण नहीं मिला।	5	
घ) बैठक अनियमित होते हैं।	1		घ) जटिल प्रकियाओं के डर से किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण हेतु सम्पर्क नहीं किया गया।	0	
4. बैठक में उपस्थिति (पिछले छः महीने का अनुभव)	7		**11. आपसी लेन–देन का स्वरूप**	9	
क) सभी सामूहिक बैठकों में 90% से अधिक की उपस्थिति।च	7		क) अधिकतर सदस्यों द्वारा ऋण का लाभ जरूरत के हिसाब से लिया जाता है।	9	
ख) सभी सामूहिक बैठकों में 70% से 90% की उपस्थिति।	5		ख) सभी सदस्यों के बीच ऋण का समान रूप में वितरण किया जाता है।	5	
ग) सभी सामूहिक बैठकों में 60% से कम की उपस्थिति।	2		ग) कुछ ही सदस्यों के द्वारा बार–बार ऋण लिया जाता है।	2	
5. समूह में वित्तीय लेन–देन (छः महीने का अनुभव)	7		**12. वापसी प्रतिशत**	9	
क) सभी बचत जमा, वित्तीय निर्णय तथा ऋणों का वितरण बैठक में ही किया जाता है।	7		क) वापसी प्रतिशत 95% से ऊपर।	9	
ख) सभी बचत जमा तथा अन्य वित्तीय निर्णय बैठकों में ही लिए जाते हैं, किन्तु ऋण का वितरण बाहर किया जाता है।	5		ख) वापसी प्रतिशत 90% से ऊपर।	5	
ग) बचत जमा तथा वित्तीय निर्णय दोनों बैठक से बाहर लिए जाते हैं।	2		ग) वापसी प्रतिशत 80% से उपर।	4	
6. वित्तीय लेन–देन के प्रति सदस्यों की जागरूकता	7		**13. अभिलेखों का संधारण** (अंकों के कुल जोड़ के साथ)	9	
क) सारे सदस्य सभी वित्तीय लेन–देन के प्रति जागरूक है।	7		क) समूह नियमावली का पालन	3	
ख) करीब 75% सदस्य जागरूक है।	6		ख) बचत समाहरण	2	
ग) कुछ ही सदस्य जागरूक हैं।	3		ग) ऋण वितरण	2	
घ) कोई सदस्य जागरूक नहीं हैं।	1		घ) सदस्यवार कर बचत एवं ऋण के अभिलेख का संधारण	2	
7. बचत की नियमितता (छः महीने का अनुभव)	7		**14. ग्राम संबंधित मुददों में सम्मिलित होना**	7	
क) 90% से ज्यादा सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	7		क) ग्राम संबंधी मुददों में सम्मिलित होना।	7	
ख) 75% से ज्यादा सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	5		ख) कभी कभी ग्रामीण मुददों के समाधन में सम्मिलित होना।	4	
ग) 50 % से कम समूह के सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	2		ग) समूह ग्रामीण मुददों में कभी नहीं सम्मिलित होता।	1	

1. कुल प्राप्त अंक : .....

2. श्रेणी .....

क – श्रेणी – 80 अंक से ज्यादा (अच्छा समूह)
ख – श्रेणी – 70–80 अंक (औसत समूह)
ग – श्रेणी – 70 से कम अंक (औसत से नीचे)

मूल्यांकन करने वाले का नाम :

हस्ताक्षर :

मूल्यांकन की तिथि :

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

समूह का नाम .....

समयावधि के बीच .....

क्र.	प्राप्ति	राशि	क्र.	भुगतान राशि	
1.	**प्रारंभिक शेष**		1.	**ब्याज भुगतान**	
	क) नकद शेष			क) बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान	
	ख) बैंक शेष			ख) VO - CIF ऋण पर ब्याज भुगतान	
2.	**सदस्यों द्वारा बचत**			ग) VO – सामान्य ऋण पर ब्याज भुगतान	
3.	**ऋण प्राप्ति**		2.	**ऋण वापसी**	
	क) बैंक ऋण			क) बैंक ऋण पर मूलधन वापसी	
	ख) VO - CIF ऋण			ख) VO - CIF ऋण पर मूलधन वापसी	
	ग) VO – सामान्य ऋण			ग) VO – सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी	
4.	**सदस्य ऋण (मूलधन वापसी)**		3.	**सदस्य को ऋण**	
5.	**सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति**		4.	**बैंक चार्ज**	
6.	**बचत खाते पर ब्याज**		5.	**समूह खर्च (परिवहन, मिटिंग, लेखन–सामग्री, लेखापाल का मानदेय आदि)**	
7.	**दंड शुल्क आय**			क)	
8.	**अन्य प्राप्तियाँ**			ख)	
	क) VO सदस्यता शुल्क (प्राप्तियाँ)		6.	**दंड व्यय**	
	ख) VO अंशपूंजी (प्राप्तियाँ)		7.	**अन्य**	
9.	**अनुदान प्राप्ति**			क) VO सदस्यता शुल्क (जमा)	
				ख) VO अंशपूंजी (जमा)	
				ग) बचत भुगतान	
			8.	**VO – जमा**	
			9.	**अंतिम शेष**	
				क) नकद शेष	
				ख) बैंक शेष	
	कुल राशि			**कुल राशि**	

उपयोगिता प्रमाण पत्र
स्वयं सहायता समूह से प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष ..... में ग्राम संगठन / ....., बी.पी.आई.यू. .....जिला (जीविका परियोजना) से प्राप्त ऋण के रूप में सामुदायिक निवेश निधि (प्रथम किश्त / द्वितीय किश्त / ..... इत्यादि) की विवरणी ऋण की उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित है –

समूह का नाम :

गाँव का नाम :

कुल प्राप्त सामुदायिक निवेश निधि (रु0) में :

ग्राम संगठन का नाम :

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	जाति	ऋण का उद्देश्य	समूह से लिया गया ऋण रकम (रु0 में)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
कुल				

..... स्वयं सहायता समूह यह उपयोगिता प्रमाण पत्र इस आधार पर दे रही है कि उपर्युक्त उल्लेखित उद्देश्यों के लिए ही सदस्यों द्वारा ऋण का उपयोग किया गया है ।

अध्यक्ष **कोषाध्यक्ष** **सचिव**

दिनांक :

कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि/घटना/सूचना/समूह के बारे में दृष्टिकोण (1)

कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि/घटना/सूचना/समूह के बारे में दृष्टिकोण (2)

जीविका

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

विद्युत भवन, एनेक्सी – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, बिहार

टेली / फैक्स : +91 – 612 – 2504 980 / 60

ई–मेल : info.brlp.in वेबसाइट : www.brlp.in

बिहार सरकार